

फर्द अहकाम

गर्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

लोडर विपक्षी जेतीबा 6

मुकदमा 251/10/25 पत्रावली संख्या 208/25 सन

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p>9/9/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. जवाब न. 4/दिनांक 25/10/25 के लिये मौफा चाहते है। अतः 25/10/25 पर अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 21/10/25 कोपेश हो। (SDO) मावली</p>	
<p>21/10/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 21/10/25 को पेश हो। B10 2</p>	
<p>29/10/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 18/12/25 को पेश हो। B10 2</p>	
<p>18/12/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. जवाब न. 4/दिनांक 25/10/25 के लिये मौफा चाहते है। अतः 25/10/25 पर अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 05/10/25 कोपेश हो। (SDO) मावली</p>	

2/2/26
 वक्तुवाय घावी/प्रतिवादी उप पत्रावली 4/रिपोर्ट
 के लिये मौका चाहते है। अतः क्रि. सं.
 अक्सर दिया जाकर पत्रावली दि 10/3/26
 को पेश हो।

(300) पत्रावली

10/3/26
 पत्रावली पेश हुई। अधि. उभय पत्र. 34।
 तदनुसार वार धारा 2 रिपोर्ट प्राप्त। 31.4।
 रहे। पत्रावली वास्तु वदम रिपोर्ट। पत्रावली 4
 दिनांक 16/4/26 को पेश हो।

16/4/26
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्षकारानु उप.
 उचित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
 बहिष्कार करने/शोक समा कर न्यायिक कार्य
 स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
 भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व अदेश
 के क्रम में दिनांक 21/5/26 को पेश हो।
 810

26/5/26
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्षकारानु उप.
 अधि. विपक्षी सं. 4 ठाव पत्रावली पेश नहीं किया। अतः
 विपक्षी सं. 4 के पत्रावली का अक्सर बन्द किया जाता
 है। पत्रावली वास्तु वदम दिनांक 29/5/26 को पेश हो।

29/5/26
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता-पार्थी मय स्वयं
 पार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता-पार्थी मय स्वयं पार्थी
 को वार-वार आवेजि दिलवाई गई। समय सांय
 6:00 PM हो चुके हैं। स्वयं पार्थी एवं उनके
 अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता
 पार्थी मय स्वयं पार्थी अनुपस्थित रहने पर पार्थी
 का पार्थीना फा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज
 किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
 थी कम हो।



शुले न्यायालय सुनाया गया।

अध्यक्ष कलक्टर
 (300) पत्रावली